



PMLA के तहत लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने हेतु पूर्व अनुमति

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस नरिणय को बरकरार रखा, जिसमें [धन शोधन निवारण अधिनियम](#) के तहत लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिये सरकार की पूर्व अनुमति को आवश्यक बताया गया था।

- इस नरिणय से यह स्पष्ट हुआ है कि [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973](#) की धारा 197(1) (जिसमें अब [भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023](#) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है), जिसके तहत लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिये सरकार की पूर्व मंजूरी को अनिवार्य बनाया गया है, PMLA मामलों पर भी लागू होती है।

CrPC की धारा 197(1) क्या है?

- इस अधिनियम के तहत **सरकारी कर्मचारियों**, नयायाधीशों या मजिस्ट्रेटों पर आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किये गए कार्यों के संदर्भ में मुकदमा चलाने से पहले सरकार की पूर्व मंजूरी को अनिवार्य बनाया गया है।
 - इसका उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण अभियोजन को रोकने के साथ सद्भावनापूर्वक नरिणय की रक्षा करना है। केंद्र सरकार से जुड़े कर्मियों के लिये मंजूरी केंद्र सरकार से और राज्य के मामलों में राज्य सरकार से मिलनी चाहिये।
- **अपवाद:** वशिष्ट अपराधों, वशिष्टकर [भारतीय दंड संहिता, 1860](#) ([BNS, 2023](#)) के तहत **लगा आधारित हिसा एवं यौन अपराधों से जुड़े अपराधों** में लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है।

PMLA और CrPC के बीच क्या संबंध है?

- **PMLA की धारा 65:** इसके तहत PMLA मामलों पर CrPC के प्रावधानों को (जब तक कि वे PMLA के साथ वरीधाभासी न हों) लागू करने का प्रावधान किया गया है।
- **PMLA की धारा 71:** इसके तहत प्रावधान है कि असंगतता के मामलों में PMLA प्रावधानों का अन्य विधियों पर अधिभावी प्राधिकार होगा।
- **सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:** अपीलकर्ता **प्रवर्तन नदिशालय (ED)** ने तर्क दिया था कि PMLA की धारा 71 (जो PMLA को अन्य कानूनों पर अधिभावी अधिकार देती है) से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता को बाहर रखा जाना चाहिये। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस दावे को खारज कर दिया।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि CrPC की धारा 197(1) **PMLA से असंगत नहीं है**, इसलिये PMLA के तहत लोक सेवकों से संबंधित मामलों में इसका लागू होना आवश्यक है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि **धारा 71 से धारा 197(1) को नरिस्त नहीं किया जा सकता है** क्योंकि ऐसा करने से PMLA की धारा 65 नरिस्तक हो जाएगी।
- **सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के नहितारथ:** इससे PMLA मामलों में CrPC को लागू करने के संदर्भ में मानक स्थापित होने के साथ **धारा 71 के तहत PMLA के अधिभावी प्राधिकार की सीमाएँ स्पष्ट हुई हैं**।
 - यह नरिणय सरकार की सहमति के बिना PMLA के तहत लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने की ED की क्षमता को सीमाति करता है तथा **उचित प्रक्रिया की आवश्यकता** पर प्रकाश डालता है।
 - **सर्वोच्च न्यायालय** का यह नरिणय धन शोधन से निपटने के लिये सरकार के प्रयासों और लोक सेवकों के निष्पक्ष कानूनी प्रक्रियाओं के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापति करता है।

नोट: [CBI 2022 2022 2022 2022, 2023](#) में, सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि [दिल्ली वशिष्ट पुलिस स्थापना \(DSPE\) अधिनियम, 1946](#) की धारा 6A (जिसमें **संयुक्त सचिव बैंक और उससे उच्च स्तर के** अधिकारियों को गरिफ्तार करने के लिये सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता पर बल दिया गया) असंवैधानिक थी।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा कानून [संवधान के अनुच्छेद 13\(2\)](#) के तहत **प्रारंभ से ही अमान्य है** और धारा 6A वर्ष 2003 में अपने आरंभ से ही अमान्य है।

सविलि सेवकों के लिये संवैधानिक संरक्षण

- संवैधानिक भाग XIV: संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है।
- अनुच्छेद 309: संसद और राज्य विधानसभाओं को सविलि सेवकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों को वनियमिति करने का अधिकार दिया गया है।
- प्रसादपर्यंत का सिद्धांत: अनुच्छेद 310 में कहा गया है कि सविलि सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण कर सकते हैं, लेकिन यह शक्ति निरिपेक्ष नहीं है।
- अनुच्छेद 311: यह सविलि सेवकों के लिये दो प्रमुख सुरक्षा उपाय निर्धारित करता है।
 - पदच्युत या नसिकरण केवल नियुक्ति प्राधिकारी या उससे उच्च पद के प्राधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है।
 - पदच्युत या रैंक में अवनति के लिये बचाव हेतु उचित अवसर के साथ जाँच की आवश्यकता होती है।

और पढ़ें: [सर्वोच्च न्यायालय ने PMLA मामलों में ED की गरिफ्तारी की शक्तियों को सीमिति किया](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prior-sanction-to-prosecute-public-servants-under-pmla>

